नगर परिषद, सीकर

(विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधी,2010

नगर निकाय क्षेत्र में विवाह स्थल से आमजन को होने वाली असुविधा एंव निकाय द्वारा संपादित सेवाओं पर बढते दबाव के कारण विवाह स्थलों के संचालन के नियंत्रण हेंतु जनहित में उपविधी बनाया जाना आवश्यक हो गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा भी याचिका संख्या एकलपीठ दीवानी याचिका संख्या ....7275/06 श्री राजकुमार ताया बनाम सरकार व अन्य मे दिनांक 11/04/08 को इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया गया था। अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009का अधिनियम संख्या 18)अन्तर्गत की धारा 340 अन्तर्गत प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए नगर परिषद सीकर निम्न लिखित उपविधी बनाती है

1. शीर्षक,सीमा एंव प्रभावः–

   (क) ये उपविधी नगर परिषद सीकर (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधि 2010 कहलायेंगे।

   (ख) ये उपविधी तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगी।

   (ग) ये उपविधी नगर परिषद सीकर .की सीमा मे प्रभावशील होंगे।

2. शाब्दिक परिभाषाएंः–

   जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो इन उपविधीयो के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दो की परिभाषा निम्न प्रकार होगीः–

   1. अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (वर्ष 2009 का अधिनियम संख्या 18) से है।
   2. समिति से तात्पर्य नगरपरिषद् द्वारा धारा 55 के अन्तर्गत गठित समिति से है।
   3. स्थानीय निकाय से तात्पर्य नगर सीकर नगरपरिषद से है।

4. उपयोग व उपभोग अनुमति से तात्पर्य विवाह स्थल पर इन उपविधियों के अन्तर्गत उपविधी 2 के खण्ड (5) में वर्णित उपयोगों हेतु दी जाने वाली अनुमति से है।

5. अनुमति प्राप्तकर्ता से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत विवाह स्थल पंजियन की अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है इसमें इनका अधिकृत प्रतिनिधि एंव अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित होगा।

6. अधिकृत प्राधिकारी से तात्पर्य स्थानीय निकाय के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये प्राधिकृत अधिकरी से है जो राजस्व अधिकारी से कनिष्ठ स्तर का नही होगा, अधिकृत प्राधिकारी इन उपविधियों के अन्तर्गत विवाह स्थल की अनुमति एव सचालन की कियान्वति सुनिश्चित की जावेगी।

7. विवाह स्थल से तात्पर्य नगर परिषद की सीमा में स्थित ऐसे समस्त भुखण्डो / फार्मो / सामुदायिक केन्द्रो / भवनो / क्लबो / बैंक्वट हॉल इत्यादि से है जो सगाई / शादी / जन्मदिवस एंव अन्य प्रकार के सामाजिक समारोह / उत्सव / प्रदर्शनी / कन्वेंशन / गरबा उत्सव / नव वर्ष आयोजन इत्यादि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाते है।

8. ऐसे भुखण्ड / भवन जिनका रूपान्तरण / आवंटन व्यावसायिक / मनोरंजन / संस्थानिक प्रयोजनार्थ किया गया है परन्तु आवंटन की शर्तो भुखण्ड / भवन का उपयोग उपविधी 2 के खण्ड (5)में दर्शाये गये विभिन्न सामाजिक प्रयोजनार्थ को सम्मिलित नहीं किया गया है तो ऐसे समस्त भुखण्डधारी / भवन मालिक को षविवाह स्थलष पंजियन हेतु निर्धारित शुल्क दिया जाना अनिवार्य होगा।

9. प्रपत्र से तात्पर्य इन उपविधी के साथ संलग्न प्रपत्र से है जो शब्द यहां परिभाषित नही किये है उनके संबंध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में दी गई परिभाषाएं लागु होंगी।

3. निषेधः–

स्थानीय निकाय की सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कम्पनी स्थानीय निकाय की अनुमति प्राप्त किये बिना ऐसे स्थान का विवाह स्थल अथवा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नही कर सकेगा। वर्तमान में स्थापित विवाह स्थलों के संबंध में दिनांक 31.08.2010 से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अपना कर अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा अवैध मानकर कार्यवाही की जावेगी।

4 अनुमति पत्र प्राप्ति की प्रणालीः–

कोई भी व्यक्ति,संस्था, कम्पनी जो स्थानीय निकाय सीमा में स्थित मुखण्ड/भवन /फार्म हाउस का उपयोग विवाह स्थल/अन्य प्रयोजनार्थ करना चाहता है अथवा इन उपविधीयों के पूर्व स्थल का उपयोग उपरोक्त प्रयोजनार्थ किया जा रहा है तो उसेः–

1. निर्धारित प्रपत्र 'क' में आवेदन करना होगा।
2. विवाह स्थल का कम्प्यूटराईज्ड ले आउट प्लान संलग्न करना होगा तथा उसके संबंध में निम्न विवरण देना अनिवार्य होगाः–

(क) महिला व पुरूष के लिये भवन विनियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त शौचालय व मुत्रालय।

(ख) भवन विनियमों में निर्धारित अग्नि शमन यंत्रो की पर्याप्त व्यवस्था

(ग) आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों की समाहित करने की क्षमता

(घ) आने व जाने के दो रास्ते (सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य) अगर वर्तमान में आवेदित स्थल पर आने जाने का एक ही रास्ता उपलब्ध है तो आवेदनकर्ता को आवेदन करने से पुर्व दूसरा रास्ते की व्यवस्था की जाकर ही आवेदन किया जा सकेगा।

(ड) नगर परिषद क्षेत्र में सडक की चौडाई न्यूनतम 40 फीट होना अनिवार्य होगा परन्तु 1000 वर्गगज से कम क्षेत्र वाले मैरज हॉल के संदर्भ में नगरपरिषद रोड चौडाई हेतु छुट प्रदान कर सकेगी, लेकिन सडक की चौडाई 30 फीट से कम नहीं होगी। सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्रो में सडक की चौडाई 30 फीट रहेगी।

(च) कचरा संग्रह की व्यवस्था तथा गन्दे पानी के निष्कासन की व्यवस्था

(छ) बिजली व पानी की पर्याप्त व्यवस्था तथा इमरजेन्सी लाईट

(ज) वाटर हारवेस्टिंग

(झ) हलवाई/कैटरिंग/अग्नि स्थान जहां भोजन तैयार करने की व्यवस्था की जानी है आवेदित स्थल पर विकसित वृक्षारोपण ,पार्क, लैण्डस्केपिंग इत्यादि का विवरण प्रस्तावित आवेदित स्थल पर लिये गये विद्युत कनेक्शन भार का विवरण मय अतिरिक्त जनरेटर रूम व्यवस्था,

- आतिशबाजी के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान का इंगितिकरण इत्यादि।

(ट) पार्किंग व्यवस्था/यातायात विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र

3. संबंधित भुखण्ड के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज की प्रति

4. यदि उपयोगकर्ता किरायेदार है तो उसे स्थल के मालिक से लिखित में हुए इकरारनामा एवं एम.ओ.यू/अन्य कानूनी दस्तावेज जिसके तहत निर्धारित स्थल का उपयोग किया जा रहा है कि नोटेराईज्ड प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। एंव विवाह स्थल की अधिसूचना(भुखण्ड/भवन मालिक की सहमति) के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो का उसके द्वारा अक्षरशः पालन किया जावेगा। इस हेतु 10/– का ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। समस्त वांछित औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात स्थानीय निकाय के अधिकृत प्राधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा आवेदित स्थल की जांच कर जाकर अनुमति दिये जाने अथवा नही जाने का निर्णय लिया जाकर आवेदनकर्ता को सूचित किया जा सकेगा।

ले–आउट प्लान अनुमोदन के मुख्य जांच बिन्दुः–

5. प्रक्रियाः–

अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पहली बार विवाह स्थल पंजियन की अनुमति देने से पुर्व सार्वजनिक विज्ञप्ति राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में आवेदनकर्ता के व्यय पर प्रकाशित करवायी जावेगी। 15 दिवस में आपत्ति प्राप्त न होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तो को पूर्ण करने के पश्चात विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) पंजियन जारी किया जा

सकेगा । यदि आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्तिकर्ता की सुनवायी की जाकर प्रकरण का निस्तारण स्थानीय निकाय के शीर्षस्थ प्रशासनिक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

6. भुमि/भवन स्वामित्व की जांचः–

यदि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न नही किये गये हों या वांछित दस्तावेज जांच में सही नही पाये जावें तो उपविधी 4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ जमा करवाई गई विवाह स्थल पंजीयन शुल्क की राशि को लौटाया नही जावेगा। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट करते हुए लिखित में सूचित करना आवश्यक होगा।

7. अपीलः–

विवाह स्थल के लिये आवेदनकर्ता के आवेदन को किसी कारण अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अस्वीकार पत्र जारी करने के 30 दिवस में इसकी अपील राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 में गठित समिति अथवा इस प्रयोजन से अधिकृत समिति में की जा सकेगी।

8. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने की समय सीमा–

स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की 30 दिवस की अवधि में आवेदनकर्ता को स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

9. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने की समय सीमा–

ऐसे स्थान पर जहां पर रात्रिकालीन शिक्षण संस्थाये या अन्य प्रकार की संस्था चालु हो तथा विवाह स्थल की अनुमति दिने जाने पर शिक्षण कार्य में बाधा आती हो वहां पर विवाह स्थल की अनुमति नही दी जा सकेगी।

इ॰ विवाह स्थल हेतु अनुमति संचालित चिकित्सालय से 100 फ ीट की परिधी में प्रतिबन्धित होगी।

ब॰ राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों पर अथवा राज्य सरकार की पूर्वानुमति पर स्थानीय निकाय सुरक्षा व जन असुविधा का ध्यान रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

10. विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) पंजियन एवं अनुमति शुल्क :–

(अ) विवाह स्थल पंजियन शुल्क निम्न प्रकार देय होगा:-

20,000/- (अकेंही बीस हजार रूपये)

(ब) विवाह स्थल उपयोग का अनुमति शुल्क निम्न प्रकार देय होगा:-

20/-(अकेंही बीस रूपये) प्रति वर्गगज यह शुल्क प्रति वित्तिय वर्ष में एकबार देय होगा।

पंजीयन शुल्क एवं विवाह स्थल उपयोग की अनुमति शुल्क पुरे वित्तीय वर्ष देय होगी चाहे उपरोक्त अनुमति वित्तिय वर्ष के किसी भी माह में जारी की गई हो। विवाह स्थल पंजियन शुल्क एंव विवाह स्थल (उपयोग एंव उपभोग) अनुमति शुल्क निकाय को देय किसी भी अन्य शुल्क कर इत्यादी के अतिरिक्त होगा।

नोटः उपविधी 10 के खण्ड (अ) व (ब) के अन्तर्गत जमा करवायी गई शुल्क की राशि स्थानीय निकाय द्वारा आवेदनकर्ता को वापस नही लौटाई जावेगी।

नवीनीकरणः- अनुमति प्राप्तकर्ता को प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात विवाह स्थल पंजियन नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा । जिसके लिये अनुमति प्राप्तकर्ता को आवेदन देना पर्याप्त होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात् पूर्ण पूर्तियों के साथ आवेदन करना होगा, परन्तु

(क) यदि आवेदन प्राप्तकर्ता 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष नवीनीकरण हेतु अप्रेल से पूर्व वांछित शुल्क जमा करवा देता है तो उसे पर्याप्त माना जाकर नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) अनुमति पुर्ण वित्तीय वर्ष के लिये देय होगा यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में समारोह स्थल स्थापित किया जाता है तो भी अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा पूरे वर्ष का शुल्क देना अनिवार्य होगा।

(ग) 01 फरवरी से 31 मार्च की अवधि में स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत विवाह स्थलों द्वारा अग्रिम वितीय वर्ष हेतु देय शुल्क जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा यदि उपरोक्तानुसार शुल्क जमा नही करवाया जाता है तो अगले तीन माह तक देय कुल शुल्क की राशि पर 10 प्रतिशत शास्ति एंव तत्पश्चात् प्रतिदिन की

विलम्ब पर 50/– रूपये विलम्ब शुल्क के रूप में अतिरिक्त शुल्क शास्ति के रूप में देय होगा।

11. विवाह स्थल (उपयोग एंव उपभोग) अनुमति पत्र निम्न शर्तो के अध्याधीन होगा :–

(क) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा इसके चारों ओर सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रबंध किये जायेगे।

(ख) अनुगति प्राप्तकर्ता द्वारा इसके संबंध में आवश्यक हिदायतें व सूचनायें परिसर के बाहर बोर्ड लगाकर अंकित की जावेगी। सूचनाओं का निर्धारण एकरूपता के आधार पर स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा।

(ग) ध्वनि प्रदूषण के संबंध में राज्य सरकार /जिला प्रशासन / नगरपरिषद द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/ निर्देशों की पालना करनी होगी।

(घ) विवाह स्थल पर एकत्रित कचरे के लिये स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित नाप एवं डिजाइन का कचरा पात्र रखना होगा । स्थानीय निकाय कचरे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रति आयोजन निम्न दरो से एक मुश्त पृथक से सेवा शुल्क के रूप में वसुल कर सकेगा।

1. पांच सो वर्गगज क्षेत्रफल तक का विवाह स्थल – 500/– प्रति आयोजन
2. 1000 वर्गगज तक का विवाह स्थल– 1000/ प्रति आयोजन
3. 1000 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का विवाह स्थल –2000/– प्रति आयोजन

(ड) अग्निशमन से संबंधित उपकरण लगवाकर स्थानीय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तो की पालना की जानी अनिवार्य होगी।

(च) संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा विवाह स्थल से कचरा उठाने का शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा जो अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा देय होगा।

(छ) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा आवेदन स्थल पर सुविधाजनक सुरक्षित पार्किंग स्थल से अनुमोदित ले आउट प्लान में इंगित शर्तो की पालना सुनिश्चित करते हुए विवाह स्थल विकसित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ज) विवाह स्थल पर होने वाले विवाह एवं अन्य आयोजनो के लिए एक पंजिका संधारित की जावेगी जिसका प्रारूप प्रपत्र ग के अनुसार तथा प्रत्येक आयोजन की सूचना निर्धारित प्रपत्र ग भाग 2 मे आगामी माह की सात तारीख तक नगर परिषद मे पेश करनी होगी।

12. अभियोजन :–

नगरपरिषद द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो स्वास्थ्य निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक से कम का नही होगा, विवाह स्थल एवं रिकार्ड का निरीक्षण कर सकेगा। यदि उपयोग एवं उ निर्देशित शर्तों उपविधीयों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 7 पूर्ति करने हेतु अनुमति प्राप्तकर्ता को सूचित कर अनुमति पत्र अविलम्ब निरस्त किया संबंधित विभाग को प्रदत्त शक्तियों से विवाह स्थल सम्पत्ति का स्थानीय उपविधियों के अन्तर्गत अटैचमेंन्ट किया जाकर दोषी व्यक्ति, संस्था एंव कम्पनी के विरूद्व अभियोजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की जा सकेगी।

13. समझौता :–

न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगरपरिषद अधिनियम, 2009 की धारा 55 में गठित समिति या नगरपरिषद द्वारा प्राधिकृत समिति/अधिकारी को होगा।

14. उपविधियों का उल्लंघन :–

इन उपविधियो में से किसी भी उपविधी का उल्लंघन पाय जाने पर प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 10,000/– रूपये का अर्थ दण्ड दिया जाकर उपविधी संख्या 11 के अन्तर्गत कार्यवाही अनुमति प्राप्तकर्ता के विरूद्व अमल में लाई जावेगी।

15. **अर्थदण्ड की राशि को स्थानीय कोष मे जमा करवाना** – अर्थदण्ड की धनराशि अनुमति प्राप्तकर्त्ता द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका कोष मे जमा करवाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाना आवयश्क होगा।

16. **अवैध विवाह स्थलो का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही**– यदि किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के स्थानीय निकाय सीमा मे विवाह स्थल विद्यमान अथवा शुरू किया जाता है तो उसे स्थानीय निकाय द्वारा अवैद्य मानकर हटाया जा सकेगा एवं अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।

17. **जनरेटर रूम व्यवस्था**– यह है कि स्थानीय निकाय क्षेत्र मे स्थित विवाह स्थलो को जनरेटर इस प्रकार लगाने होंगे जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो एवं किसी भी प्रकार का प्रंदुषण न हो।

18. **सार्वजनिक स्थानो के सामाजिक समारोह हेतू उपयोग पर रोक**– यह है कि स्थानीय निकाय क्षेत्र मे स्थित विकास समिति एवं गृह निर्माण एवं मोहल्ला विकास समिति द्वारा जो स्थान सार्वजनिक पार्क हेतु छोड़े गये है उनका उपयोग विवाह स्थल हेतु नही किया जावेगा न ही उन्हे अनुमति पत्र जारी किया जावेगा। उनका उपयोग जिस उदेश्य हेतु रखा गया है उसी उपयोग मे लिया जा सकेगा।

19. **सामुदायिक केन्द्रो/ सार्वजनिक धर्मशालाओ के विवाह स्थलो के उपयोग पर शुल्क राशि मे छूट**– भारत सरकार /राज्य सरकार के सरकारी/ अर्द्ध सरकारी विभागो/उपक्रमो द्वारा निर्मित किये गयें विवाह स्थलो जिनका संचालन नागरिक समितियो द्वारा किया जा रहा है के पंजीकरण व अनुमति शुल्क हेतू उपविधी 10 के अन्तर्गत निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप मे ली जा सकेगी परंतु ऐसे विवाह स्थलो जिनका संचालन भारत सरकार /राज्य सरकार के सरकारी/ अर्द्ध सरकारी विभागो उपक्रमो द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जा रहा है को उपविधी 10 से छूट होगी लेकिन निर्धारित सफाई शुल्क देय होगा।

20. **पार्किंग और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना**– अनुमति प्राप्तकर्त्ता को पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी और स्थानीय पुलिस की अनुमति से सडक के एक तरफ सिंगल लाइन पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।यातायात के संबंध मे स्थानीय पुलिस द्वारा विवाह जूलूस की यातायात की सुव्यवस्था को ध्यान मे रखते हुए नियंत्रित किया जा सकेगा । किसी क्षेत्र मे सड़क विशेष पर विवाह जूलूस की अनुमति देने हेतु प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

21. **विवाह स्थलो की भूमि का अन्य उपयोग पर प्रतिबंध**– अनुमति प्राप्तकर्त्ता द्वारा विवाह स्थल की अनुमति प्राप्त होने के बाद अनुमति पत्र की एक–एक प्रति संबंधित पुलिस थाना व जिलाधीश को देनी आवयश्क होगी। स्थानीय निकाय द्वारा समाज के सामाजिक दायित्वो की आवयश्कताओ की पूर्ति करने को दृष्टिगत रखते हुए विवाह

स्थल (उपयोग एवं उपभोग) हेतू जारी अनुमति पत्र किसी भी प्रकार की भू उपयोग परिवर्तन की अनुमति या अंगीकार नही माना जावेगा। अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा भविष्य मे संबंधित स्थल का भू उपयोग परिवर्तन चाहने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर संबंधित उपविधीयो के अन्तर्गत भू उपयोग परिवर्तन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकेगा।

22. **स्थानीय निकाय का सर्वाधिकार सुरक्षित**– विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति पत्र से भूमि/भवन के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा। स्थानीय निकाय द्वारा विवाह स्थल हेतु अनुमति पत्र की स्वीकृति को कारण स्पष्ट किये बिना निरस्त करने का अधिकार होगा। निरस्तीकरण पर स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नही होगी।

23. **वर्तमान मे अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलो का अनुमति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध मे**– समस्त स्थानीय निकायो के प्राधिकृत अधिकारियो द्वारा निकाय के परिधीय क्षेत्रो मे वर्तमान मे संचालित विवाह स्थलो एवं उपविधी 2 के खण्ड (टप्प) मे वर्णित अन्य गतिविधियो हेतु उपयोग मे लाये जा रहे स्थलो का सर्वेक्षण अधिसुचना जारी होने के 30 दिवस की अवधि मे करवाया जाकर जोनवार सूची तैयार की जाकर उपविधी सं. 10,11,12,13 व 14 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

24. **निरसन और व्यावृतिया**– इन उपविधियो के प्रर्वतन मे आने के पश्चात पूर्व मे जारी आदेश/निर्देश विज्ञप्तियां निरस्त समझी जावेगी लेकिन इन उपविधियो के प्रर्वतन मे आने के पश्चात पूर्व निरसित आदेश/निर्देश विज्ञप्तियों के तहत किया गया कोई उपविधियां प्रभावशील होने के कारण अवैद्य नही समझा जावेगा।

25. अनुमति प्राप्तकर्त्ता से शपथ–पत्र प्राप्त किया जाना– प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह स्थल की स्वीकृति जारी करने से पूर्व अनुमति प्राप्तकर्त्ता से 10 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पत्र पर इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा इन उपविधियो मे वर्णित समस्त दिशा निर्देशो को अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावेगी अन्यथा उसका उपयोग एवं उपभोग स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

सभापति
नगर परिषद, सीकर

सभापति
नगर परिषद, सीकर

आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

कार्यालय नगर परिषद, सीकर

प्रपत्र – क

विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) हेतु अनुमति पत्र प्राप्त करने बाबत प्रार्थना पत्र (नगर परिषद सीकर (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधी 2010 के अन्तर्गत)

श्रीमान प्राधिकृत प्राधिकारी,
नगर परिषद, सीकर

विषयः– विवाह स्थल हेतु नवीन अनुमति पत्र जारी करने /पूर्व मे जारी अनुमति पत्र का नवीनीकरण करने के संबंध मे।

1. विवाह स्थल का नाम : .....
2. संचालक /मालिक /अधिकृत व्यक्ति का नाम : .....
3. पता/दूरभाष नं.(कार्यालय/निवास/मोबाइल). : .....
4. फैक्स/ई–मेल का पता: : .....
5. स्थान का पूरा विवरण : .....
6. विवाह स्थल (भूखण्ड/भवन)का सम्पूर्ण (क्षेत्रफल बाहरी परिधीय क्षेत्र के अनुसार) : .....
7. यातायात अन्य संबधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण– पत्र : .....
8. मकान मालिक/ भूखण्ड की सहमति प्रमाण–पत्र जो नोटरी पब्लिक से प्रमाणित किया गया हो : .....
9. भूखण्ड/भवन के स्वामित्व से संबधित नोटरी पब्लिक से प्रमाणित दस्तावेज : .....
10. विवाह स्थल का ले आउट प्लान बिंदु संख्या 4 (पप) मे दी गई शर्तो को सुनिश्चित करते हुए : .....
11. अन्य विवरण : .....

मैने नगर परिषद(विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधी 2010 का अवलोकन/अध्ययन कर लिया है। मै इन परिस्थितियो मे आबद्ध रहूंगा। उक्त विवाह स्थल का (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति पत्र जारी करने का कष्ठ करे।

कार्यालय नगर परिषद, सीकर

प्रपत्र –क

विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) हेतु अनुमति पत्र प्राप्त करने बाबत प्रार्थना पत्र (नगर परिषद, सीकर (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधी 2010 के अन्तर्गत)

श्रीमान प्राधिकृत प्राधिकारी,
नगर परिषद, सीकर

विषयः– विवाह स्थल हेतु नवीन अनुमति पत्र जारी करने/पूर्व में जारी अनुमति पत्र का नवीनीकरण करने के संबंध में।

1. विवाह स्थल का नाम .....
2. संचालक/मालिक/अधिकृत व्यक्ति का नाम .....
3. पता/दूरभाष नं. (कार्यालय/निवास/मोबाईल) .....
4. फैक्स/ई–मेल का पता .....
5. स्थान का पूरा विवरण .....
6. विवाह स्थल (भूखण्ड/भवन) का सम्पूर्ण (क्षैत्रफल बाहरी परिधीय क्षैत्र के अनुसार) .....
7. यातायात अन्य संबंधीत विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र .....
8. मकान मालिक/भूखण्ड की सहमति प्रमाण पत्र जो नोटरी पब्लिक से प्रमाणित किया गया हो .....
9. भूखण्ड/भवन के स्वामित्व से संबंधित नोटरी पब्लिक से प्रमाणित दस्तावेज .....
10. विवाह स्थल का ले आउट प्लान बिन्दू संख्या 4(ii) में दी गई शर्तों को सुनिश्चित करते हुए .....
11. अन्य विवरण .....

मैने नगर परिषद (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधी 2010 का अवलोकन/अध्ययन कर लिया है। मैं इन परिस्थितियों में आबद्ध रहूंगा। उक्त विवाह स्थल का (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति पत्र जारी करने का कष्ट करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय नगर परिषद, सीकर

प्रपत्र –क भाग सं. 2

नगर परिषद, सीकर विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) हेतु अनुमति पत्र प्राप्त करने बाबत प्रार्थना पत्र (नगर परिषद, सीकर (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधी 2010 के अन्तर्गत)

–चैक लिस्ट–

विवाह स्थल का नाम .....

अनुमति प्राप्तकर्ता का नाम .....

विवाह स्थलों का विवरणः–

1. शौचालय व मूत्रालय का विवरण .....
   1. पुरूष.....
   2. महिला.....
2. अग्निशमनः अग्निशमन विभाग की अनापति पत्र संलग्न है। .....
3. यातायातः यातायात विभाग की अनापति प्रमाण पत्र .....
4. स्थल के सामने मुख्य सड़क की चौड़ाई .....
5. पार्किंग की व्यवस्था .....
6. कचरा पात्र की व्यवस्था .....
   1. स्वयं का कचरा पात्र है .....
   2. नगर पालिका से किराये पर लिया है .....
7. जनरेटर रूम की व्यवस्था .....
8. स्थल पर प्रथम चिकित्सीय व्यवस्था .....
9. भूखण्ड/भवन के स्वामित्व से संबंधित .....
10. वाहर हार्वेस्टिंग का प्रावधान .....
11. नजदीक के अस्पताल से दूरी .....
12. नजदीक फायर स्टेशन से दूरी .....
13. नगरीय विकास कर का विवरण जमा कराने की रसीद सं. एवं दिनांक (मय फोटो प्रतिलिपि) .....
14. अन्य विवरण .....

हस्ताक्षर अनुमति प्राप्तकर्ता